मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया था। प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संपूर्ण प्रदेश में वास्तविक संग्रहणकर्ताओं की सदस्यता से 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं। क्षेत्रीय वनमंडलों के स्तर पर वर्तमान मे 61 जिला लघु वनोपज यूनियन बनाये गये हैं। इस त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ पहले से ही कार्यरत है। प्रदेश के वनवासियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज जैसे चिरोंजी, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपजों का निःशुल्क संग्रहण करने की छूट दी गई है। संघ की विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1. राष्ट्रीयकृत वनोपज

(i) तेंदूपत्ता – विगत तीन वर्षों में संग्रहण एवं निर्वर्तन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रु. प्रति मा. बो.)	कुल गोदामीकृत मात्रा (लाख मानक बोरा में)	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रुपये में)	अब तक विक्रय की गई मात्रा (लाख मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
2011	650	17.06	110.89	17.05	310.06
2012	750	26.06	195.45	26.06	634.13
2013	950	19.93	189.31	19.60	400.58

(ii) सालबीज – सालबीज संग्रहण पर म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में 2007 से 2011 (पाँच वर्ष) हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। वर्ष 2008 से प्रदेश में सालबीज संग्रहण पर लगा प्रतिबंध हटाते हुये सालबीज संग्रहण कराने हेतु शासन द्वारा निर्देश दिये गये। सालबीज संग्रहण एवं निर्वर्तन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं गड्डी बंधाई

संग्रहण वर्ष	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	निर्वर्तित मात्रा (क्विंटल में)	प्राप्त विक्रय (लाख में)	औसत विक्रय दर (लाख में)
2010	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2011	1713.69	1713.69	7.88	460.00
2012	37741.81	36647.11	211.98	578.00
2013	186.00	—	—	—

टीपः—वर्ष 2013 सीजन के सालबीज के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

(iii) कुल्लू गोंद — कुल्लू गोंद को 11 जिलों में राष्ट्रीकृत वनोपज घोषित कर इसका संग्रहण किया जाता है । विगत तीन वर्षों में संग्रहण एवं निर्वर्तन की जानकारी निम्नानुसार है :—

संग्रहण वर्ष	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	निर्वर्तित मात्रा (क्विंटल में)	प्राप्त विक्रय (लाख में)	औसत विक्रय दर (लाख में)
2010—2011	69.84	65.19	17.23	26439.00
2011—2012	115.66	43.42	8.49	19544.00
2012—2013	77.58	1.15	0.26	22500.00

(iv) लाख — वर्ष 2011, 2012 एवं 2013 से शासन निर्देशानुसार बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने के कारण संग्रहण निरंक रहा ।

(v) अचार गुठली — शासन निर्देशानुसार वर्ष 2011 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 20.45 क्विंटल अचार गुठली का संग्रहण हुआ है। वर्ष 2012 एवं 13 में अचार गुठली का संग्रहण बाजार मूल्य अधिक होने के कारण निरंक रहा।

महुआ फूल संग्रहण

(vi) महुआ फूल — शासन निर्देशानुसार वर्ष 2012 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 625.93 क्विंटल महुआ फूल का संग्रहण कराया गया। संग्रहित मात्रा में से 285.60 क्विंटल निर्वर्तन किया जा चुका है। वर्ष 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 633.74 क्विंटल महुआ फूल का संग्रहण कराया गया। वर्ष 2012 की अवशेष एवं 2013 की संग्रहित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

(vii) हर्रा — शासन निर्देशानुसार वर्ष 2012—13 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 642.55 क्विंटल हर्रा का संग्रहण किया गया है । इसी प्रकार वर्ष 2013—14 में 1011.95 विक्ंटल हर्रा का संग्रहण किया गया है । संग्रहित मात्रा के

निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

(viii) नीम बीज – शासन निर्देशानुसार वर्ष 2012 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 140.80 क्विंटल नीम बीज का संग्रहण किया गया है। वर्ष 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण बाजार मूल्य अधिक होने के कारण निरंक रहा।

(ix) अन्य – वर्ष 2012–13 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर महुआ गुल्ली, करंज बीज का संग्रहण बाजार मूल्य अधिक होने के कारण निरंक रहा।

2. सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

वर्ष 1991 से प्रदेश के समस्त तेंदूपत्ता संग्राहकों के कल्याण हेतु एक निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना प्रारम्भ की गई। वर्ष 1997 से योजना में सम्मिलित किसी भी संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर उनके नामांकित व्यक्ति को 3500/– की राशि तथा यदि कोई संग्राहक दुर्घटना के कारण आंशिक रुप से विकलांग हो जाता है तो आंशिक विकलांगता के लिए रु. 12500/–तथा यदि दुर्घटना में व्यक्ति पूर्णतः विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें या उसके उत्तराधिकारी को रु. 25000/– की राशि देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 2.22 लाख दावों का निराकरण किया जाकर रूपये 90.27 करोड़ की राशि मृत तेंदू पत्ता संग्राहकों के परिवार को भुगतान की जा चुकी है ।

3. एकलव्य शिक्षा विकास योजना –

लघु वनोपज संघ द्वारा ''एकलव्य शिक्षा विकास योजना'' नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई है। इस योजना का उदेश्य वनक्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे उनके होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। इस उदेश्य की पूर्ति हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है –

1. योजना का लाभ प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को प्राप्त हो सकेगा। पात्रता हेतु संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि विगत पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षो में उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो तथा फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षो में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।
2. योजना हेतु उन्हीं बच्चों के प्रकरणों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड अर्जित किया हो। उनका चयन प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा। चयनित छात्र–छात्राओं को निरंतर न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करते रहना होगा, यदि उनका प्रदर्शन नीचे जाता है तो सुधार लाने के लिए अधिकतम एक अवसर प्रदान किया जा सकेगा। इस संबंध में संघ द्वारा निर्णय लिया जावेगा।
3. योजना में शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकों पर व्यय, छात्रावास व्यय तथा वर्ष में एक बार घर आने–जाने हेतु यात्रा व्यय दिया जाएगा, तथा सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी–
   - **कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों को 12,000 रुपये अधिकतम**
   - **कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को 15,000 रुपये अधिकतम**
   - **गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20,000 रुपये अधिकतम**
   - **व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को 50,000 रुपये अधिकतम**

4. प्रत्येक वर्ष लघु वनोपज संघ के संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत बजट राशि के अंतर्गत श्रेष्ठता क्रम में चयनित छात्र–छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा उपलब्ध बजट की 50 प्रतिशत राशि नौवीं से बारहवीं तक की शिक्षा के लिए तथा शेष 50 प्रतिशत राशि स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए उपलब्ध हो सकेगी।

5. शैक्षणिक सत्र 2012–13 में उक्त योजना में 817 छात्र/छात्राओं को राशि रूपये 50.21 लाख की छात्र वृत्ति प्रदान की गई है।

4. प्रोत्साहन पारिश्रमिक –

वर्ष 1997 तक संघ द्वारा लघु वनोपज व्यापार का शुद्ध लाभ राज्य शासन को रायल्टी के रूप में भुगतान किया जाता रहा। संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है । प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं । लघु वनोपज व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। संग्रहण वर्ष 2011 से इस शुद्ध आय का 70 प्रतिशत भाग संग्राहकों को, उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नगद भुगतान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 15 प्रतिशत भाग वनों के पुनरोत्पादन पर लगाया जा रहा है तथा शेष राशि सहकारी समितियां अपने विवेक अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में व्यय कर रही है। इसके अंतर्गत ग्रामों में पेयजल एवं सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है तथा गोदामों एवं लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों का निर्माण तथा औषधीय उद्यान की स्थापना के कार्य किये जा रहे हैं। यह व्यवस्था वर्ष 1998 सीजन से लागू की गई।

इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्षों में वितरित प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

संग्रहण वर्ष	प्रोत्साहन पारिश्रमिक की वितरित राशि (रुपये करोड़ में)
2006	27.41
2007	118.58
2008	38.73
2009	62.11
2010	82.57
2011	98.22
2012	211.66

5. अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज

विनाश विहीन विदोहन को प्रोत्साहित करने हेतु लाख, कुल्लू एवं शहद की विनाश विहीन पद्वतियों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियाँ व योजनायें क्रियांवित है जिनके माध्यम से लघु वनोपज व औषधीय पौधे के स्त्रोतों के संरक्षण के साथ–साथ संग्राहकों प्रसंस्करणकर्त्ताओं व उद्यमियों को अधिक लाभ दिलाने के साथ–साथ अब इनके मध्य समन्वय भी स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे है। राज्य शासन द्वारा औषधीय एवं सुगंधित पौध विकास की एक रणनीति अनुमोदित की गई है।

6. लघु वनोपज का संसाधन सर्वेक्षण–

राज्य शासन द्वारा स्वीकृत औषधीय एवं सुगंधित पौध विकास हेतु मध्य प्रदेश की रणनीति के तहत प्रदेश के शासकीय वन क्षेत्रों में औषधीय एवं सुगंधित पौधों एवं अकाष्ठीय वनोपज पौधों की वर्तमान स्थिति, उत्पादन एवं

उत्पादक क्षमता का आंकलन किया जा रहा है। उक्त सर्वेक्षण संवहनीय उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु बीट स्तर पर किया जा रहा है। अकाष्ठीय लघु वनोपजों के संसाधन सर्वेक्षण एवं सूक्ष्म योजना निर्माण की कार्यविधि के विकास के प्रथम चरण में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर से प्रत्येक वन मण्डल (जिला यूनियन) में पदस्थ उप प्रबंधक/उप वनमंडलाधिकारी को ''प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण'' (Training of Trainers) माह जुलाई 2011 में दिलाया गया है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा प्रदेश के 62 वनमण्डलों के उप प्रबंधक/उप वनमण्डलाधिकारियों को 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया हैं। इस सम्पूर्ण योजना पर लगभग 180.00 लाख रूपये के व्यय का अनुमान है। उक्त सर्वेक्षण हेतु जिला यूनियनों को रूपये 119.82 लाख प्रदाय किये गये है।

7. अन्य योजनायें –

1. औषधीय पौधों के विपणन के लिये भोपाल, बालाघाट, पूर्व छिन्दवाड़ा, पश्चिम छिन्दवाड़ा, कटनी, सिवनी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, रेहटी (सीहोर), होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सतना, बरखेडा पठानी (भोपाल), मैहर, इन्दौर, पन्ना, ग्वालियर, अमरकंटक, कपिलधारा, छतरपुर, जबलपुर एंव रीवा में ''संजीवनी आयुर्वेद'' के नाम से 24 विक्रय केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं एवं देवास, बुरहानपुर में निर्माणाधीन है। इन विक्रय केन्द्रों के माध्यम से अर्द्ध तथा पूर्ण प्रसंस्कृत लघुवनोपजों तथा औषधीय उत्पाद आम जनता को विक्रय किया जाता है। विपणन किये जा रहे उत्पादों में आंवला मुरब्बा, अर्जुन चाय, शहद, गोंद, बेल, गुड़मार एवं त्रिफला चूर्ण आदि प्रमुख हैं । आवश्यकता एवं उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर अन्य स्थानों पर भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जावेगा ।

2. औषधीय पौधों के प्रसंस्करण केन्द्र बऱखेड़ा पठानी भोपाल की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। इस केन्द्र को खाद्य एवं औषधीय नियंत्रक, मध्यप्रदेश से औषधि निर्माण हेतु 250 उत्पादों के लायसेंस प्राप्त हो चुके हैं । इस केन्द्र की प्रयोगशाला का उन्नयन कार्य आयुष विभाग भारत सरकार की सहायता से किया जा रहा हैं जिससे कि यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला हो जावेगी ।

3. प्रदेश में लघु वनोपजो तथा औषधीय पौधों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न जिला यूनियनों को संघ मुख्यालय से ऋण निधि से कम दर के ब्याज (4 प्रतिशत) पर रूपये 614.94 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

4. स्थानीय लोगों में वनौषधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा प्रदेश की विभिन्न समितियों द्वारा उत्पादित हर्बल उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने के उद्धेश्य से प्रतिवर्ष भोपाल में राष्ट्रीय वनमेला आयोजित किया जाता है । इस वर्ष भोपाल में अंतराष्ट्रीय मेला आदर्श चुनाव आचार संहिता होने के कारण स्थगित कर दिया गया है।

5. राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रसंस्करण केन्द्रों में कच्चे माल की आपूर्ति हेतु औषधीय पौधा रोपण केन्द्रों की स्थापना हेतु 11 जिला यूनियनों खण्डवा, देवास, भोपाल, सीहोर, पूर्व छिन्दवाड़ा, इन्दौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, श्योपुर, कटनी एवं शिवपुरी में कुल 800 हैक्टेयर हेतु रुपये 640.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। जिसमें संघ को रूपये 640.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध योजना में जुलाई 2013 की स्थिति में रुपये 515.63 लाख व्यय किये गये है।

6. राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा औषधीय पौधों के स्त्रोतों का सुदृढीकरण अंतर्गत जिला यूनियन रायसेन, होशंगाबाद, उत्तर बैतूल, दमोह एवं बुरहानपुर में कुल 1200 हेक्टेयर क्षेत्र के लिये रुपये 230 लाख की योजना स्वीकृत की गई है, जिससे संघ को रुपये 161.00 लाख प्राप्त हुई है। योजना अंतर्गत अब तक 720 हेक्टेयर में औषधीय पौधों का रोपण किया गया ।

राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा "Ex-Situ Conservation for resource augmentation" बाहय स्थलीय संरक्षण के विस्तार की योजना में कुल 1450 हेक्टर के लिये रुपये 821.00 लाख स्वीकृत किये जाकर संघ को रुपये 821.00 लाख प्राप्त हुए हैं । यह योजना 13 जिला यूनियन विदिशा, राजगढ, पश्चिम सीधी, देवास,

सतना, दक्षिण सागर, पूर्व छिंदवाडा, दक्षिण छिंदवाडा, बुरहानपुर, हरदा, उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट एवं टीकमगढ़ मे क्रियांवित की जा रही है।

7. इसी प्रकार अमरकंटक पठार पर औषधीय पौधों का संरक्षण एवं विस्तार हेतु रुपये 124.80 लाख स्वीकृत कर रुपये 80.90 लाख की राशि विमुक्त की गई है। इस योजना के अंतर्गत 200 हेक्टेयर क्षेत्र में कलिहारी, गुलबकावली, कालीहल्दी एवं मज़िष्ठ का रोपण किया गया है। तामिया क्षेत्र में औषधीय पौधों का संरक्षण हेतु राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड, द्वारा रुपये 123.80 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। संघ को रुपये 123.80 लाख प्राप्त हुए है। योजना अंतर्गत 150 हेक्टर क्षेत्र में कलिहारी, सर्पगंधा एवं कालमेघ के रोपण पर माह अगस्त 2012 तक रूपये 50.47 लाख व्यय किये गये है।

8. राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड, नई दिल्ली से पोषित आंवला प्रचार–प्रसार हेतु रुपये 274.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें वर्ष 2009–2010 में 52 जिलों में गतिविधियां क्रियांवित की गई है । वर्ष 2010–2011 से पूरे प्रदेश में यह योजना क्रियांवित की गई है।

9. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली से वित्त पोषित परियोजना Support of JFMC for value addition warehousing and Marketing की योजना वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक तीन वर्षों हेतु रूपये 580.00 लाख की स्वीकृति हुई है। उक्त योजना में बोर्ड से संघ को रूपये 232.00 लाख प्राप्त हुये है। उक्त योजना के अंतर्गत Construction of Warehouse, Platform, Semi Processing Unit, Solar Dryer Marketing Support, Training Awairness and Capacity Building इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित है ।

10. भारतीय जनजाति कल्याण मंत्रालय (MOTA), भारत सरकार से ग्रांट इन एड के अंतर्गत वर्ष 2011 में लघु वनोपज के क्रियान्वयन हेतु रुपये 350.00 लाख प्राप्त हुये है। योजना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के महुआ फूल के संग्रहण के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने, कुल्लू गोंद संग्रहण हेतु 1800 ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने, एम.एफ. पी. पार्क, भोपाल में स्थित प्रसंस्करण केन्द्र की सुविधाओं का उन्नयन, शहद उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण, खरगोन में नीम तेलघानी की स्थापना, जिला यूनियन पश्चिम सीधी, सतना, उत्तर सिवनी एवं दक्षिण सिवनी में वर्मी कंपोस्ट निर्माण इत्यादि की गतिविधियां सम्मिलित है।

मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल से रीवा में औषधीय एवं सुगंधित पौधों का प्रशिक्षण सह प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकास एवं हर्बल अवेयरनेस कार्यक्रम हेतु लागत राशि रुपये 534.00 लाख की योजना वर्ष 2009–10 में स्वीकृत की गई है। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि होने के कारण म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 23.06.2011 को अतिरिक्त राशि रुपये 237.74 लाख स्वीकृत है इस प्रकार योजना की लागत राशि रुपये 771.74 लाख है। इस हेतु रुपये 754.99 लाख की राशि जिला यूनियन रीवा को प्रदाय की गई है। योजना में रूपये 729.21 लाख व्यय किये जा चुके है। उक्त प्रसंस्करण केन्द्र बी.जी. प्रोजेक्ट्स कानपुर को राशि रूपये 211000.00 प्रतिमाह पर लीज रैंट पर दिया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की सहायता से जिला छिंदवाड़ा में औषधीय एवं सुगंधित पौधों का प्रशिक्षण सह प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकास एवं हर्बल अवेयरनेस कार्यक्रम योजना में रूपये 231.50 लाख वर्ष 2006–07 में स्वीकृत की गई। उक्त योजना में बोर्ड से रूपये 208.35 लाख प्राप्त हुए है। संघ से जिला यूनियन पूर्व छिंदवाड़ा को रूपये 246.06 लाख प्रदाय किये गये है। योजना में अब तक रूपये 189.54 लाख व्यय किये जा चुके है। उक्त प्रसंस्करण केन्द्र पाम जुनेजा प्रायवेट तिरूपति एग्रो इण्डस्ट्रीज अंजनिया, जिला–छिंदवाड़ा को रुपये 131000.00 प्रतिमाह की दर से दिनांक 01.03. 2012 को लीज रेंट पर आउट सोर्स किया गया है।

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (म.प्र.)

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। राज्य शासन के 29 अक्टूबर, 1994 को जारी आदेश द्वारा इसे स्वायत्तशासी संस्थान घोषित किया गया। यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है।

संरचना

संस्थान के संचालक मंडल में 15 सदस्य हैं। संस्थान में संचालक का पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के स्तर का है जिसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के संचालक तथा मुख्य वन संरक्षक स्तर के एक अपर संचालक पदस्थ रहे। इनके अतिरिक्त तीन वन संरक्षक स्तर के उपसंचालक एवं दो सहायक वनसंरक्षक स्तर के सहायक संचालक पदस्थ रहे। साथ ही, 6 वैज्ञानिक, 1 वन क्षेत्रपाल, 1 उप वनक्षेत्रपाल, 14 अनुसंधान अधिकारी, 1 वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, 1 प्रयोगशाला तकनीशियन, 1 लेजर सहायक, 1 प्रयोगशाला सहायक, 3 क्षेत्र सहायक, 8 वनपाल, 9 वनरक्षक, 2 तकनीकी सहायक एवं 2 तकनीकी सहायक (संविदा) तथा 1 हरबेरियम सहायक (संविदा) पदस्थ रहे।

उद्देश्य

यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवंशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं प्रबंधन योजनाएं तैयार करने इत्यादि को जन उपयोगी एवं व्यवहारिक बनाने के लिए, शोध के माध्यम से तकनीकें विकसित कर प्रयोगशाला से क्षेत्रीय स्तर पर हस्तांतरण हेतु प्रचार प्रसार का कार्य करता है।

मुख्य गतिविधियाँ

वर्ष 2012– 13 के दौरान संस्थान की अनुसंधान गतिविधियाँ निम्न मुख्य विषयों पर केन्द्रित रही है –

1. प्राकृतिक परिस्थितियों में संकटापन्न तथा लुप्तप्राय प्रजातियों की रोपणी तकनीक एवं वृक्षारोपण हेतु मॉडल का विकास।
2. म.प्र. के विभिन्न वन प्रकारों में स्थापित संरक्षित भू–खण्ड में मृदा एवं वनस्पति का अध्ययन।
3. छतरपुर वनमण्डल के बक्सवाहा परिक्षेत्र में हीरे की खदानों की संभावनाओं के खोज से उत्पन्न जैवविविधता पर प्रभाव का मूल्यांकन।
4. उत्तरप्रदेश वन विभाग एवं JICA परियोजना के अंतर्गत उत्तरप्रदेश के विभिन्न वनमण्डलों में अकाष्ठीय वनोपज के विदोहन पश्चात् तकनीक का प्रशिक्षण तथा संसाधनों के आंकलन एवं विकास का अध्ययन।
5. सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी, म.प्र. में नवीन ऐश बंध की स्थापना हेतु वन क्षेत्र के हस्तांतरण के उपरांत वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु योजना तैयार करना।
6. राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत जेट्रोफा का एकीकृत विकास।
7. प्राकृतिक वनक्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं लोक संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध जैवविविधता का सर्वेक्षण एवं संकटापन्न प्रजातियों की पहचान।

8. उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का संग्रहण, उपचारण, भंडारण, प्रमाणीकरण एवं वितरण।
9. विभिन्न वानिकी प्रजातियों की रोपणी तकनीकों का विकास।
10. कायिक प्रवर्धन, संतति परीक्षण एवं वृक्षों की अच्छी किस्में तैयार करना।
11. औषधीय पौधों का अन्तः एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण एवं विकास।
12. लघु वनोपज तथा औषधीय पौधों का सतत् विदोहन, प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, विपणन, सूखत तकनीक, सतत् प्रबंधन, भण्डारण तकनीकों का विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार।
13. नमूना भूखण्डों का मापन एवं फार्म फैक्टर, आयतन एवं प्राप्ति तालिकाएँ तैयार करना।
14. Baibidang तथा Malkagani की Nursery तकनीक का विकास।
15. परिरक्षित भूखण्डों की स्थापना एवं पारिस्थितकीय अध्ययन।
16. प्राकृतिक वन संसाधन एवं लघुवनोपज सूचना प्रणाली तकनीक का विकास।
17. तेन्दूपत्ता के अधिक से अधिक उत्पादन एवं उच्च गुणवत्ता युक्त पत्तियों की प्राप्ति हेतु शाखकर्तन द्वारा उचित मापदण्ड का निर्धारण।
18. मध्यप्रदेश के विभिन्न वन प्रकारों में चराई की धारण क्षमता एवं वितान घनत्व (Canopy density) के आंकलन हेतु उपयुक्त विधि (Methodology) का विकास।
19. वनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभों का मूल्यांकन कर उनका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान एवं एफ.आर.ए. प्रणाली (Forest Resource Accounting System) विकसित करना।
20. मध्यप्रदेश वन विभाग एवं वानिकी अनुसंधान के पुराने अभिलेखों का डिजिटाइजेशन (Digitization) करना।
21. मध्यप्रदेश में स्वचलित मौसम केन्द्र (Automatic Weather Station) एवं कृषि मौसम केन्द्र (Agro-meteorological Station) से प्राप्त आंकड़ों के उपयोंग द्वारा विज्ञान योजना म0प्र0 वन विभाग की साझेदारी (Collaboration) से तैयार करना।
22. जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से महत्वपूर्ण औषधीय प्रजातियों का कीमोप्रोफाइलिंग द्वारा जननद्रव्य का आंकलन तथा उन्नत किस्म के पौधों का विकास।
23. मध्यप्रदेश के विभिन्न वन प्रकार में स्थापित परिरक्षित भूखण्डों में वनस्पति तथा मृदा का अध्ययन।
24. विभिन्न प्रजातियों की Copice origin वृक्षों की वृद्धि तालिका तैयार करना।
25. सागौन, खमेर तथा बांस के उत्तम वृद्धि के लिए विभिन्न Potting Mixture का मानकीकरण।
26. मध्यप्रदेश में Oleo-resin तथा अन्य गोंद की सतत् विदोहन तथा प्रसंस्करण।
27. महुआ के Clonal Plants का विकास।
28. महत्वपूर्ण सुगंध एवं औषधीय पौधों में लगने वाली विभिन्न बीमारियों की पहचान कर उनका प्रबंधन पर अध्ययन।
29. सागौन बीज उद्यान तथा बीज उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न उर्वरकों एवं हार्मोन के प्रभाव का अध्ययन।
30. म.प्र. में विपणन आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण हेतु 5 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना।
31. मध्यप्रदेश में निजी एवं राजस्व क्षेत्रों में वानिकी प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं मिट्टियों में प्राप्त हो सकने वाली वनोपज का आर्थिक विश्लेषण।
32. संकटापन्न औषधीय पौध Litsea glutinosa की क्लोनल बहुगुणन हेतु प्रोटोकाल विकसित करना।

33. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के वनस्पतिक हरबेरियम का कम्प्यूटरीकरण एवं उन्नयन।
34. वन संग्रहालय का रखरखाव एवं विकास।
35. विकसित तकनीकों का प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार।
36. त्रैमासिक पत्रिकाओं ''वानिकी संदेश'' एवं ''वन–धन'' का प्रकाशन।
37. वन विकास अभिकरणों के माध्यम से कराये गये कार्यों का मूल्यांकन ।
38. प्रदेश में वानिकी अनुसंधान से संबंधित ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों का सूचीकरण एवं परिरक्षण।
39. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एवं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा एवं काले हिरन के निवास स्थलों का मूल्यांकन।
40. राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 26 झांसी–ललितपुर के निर्माण से वन्य जीवों के तथा प्राकृतिक वनक्षेत्रों पर पडने वाले प्रभाव का मूल्यांकन।
41. पन्ना जिले में रून्ज सिंचाई परियोजना के विकास से वन्य जीवों पर पडने वाले प्रभाव तथा उनके निराकरण हेतु अध्ययन।
42. वर्मी कम्पोस्ट तथा नीम खली के उपयोग से वानिकी प्रजातियों के पौधों के विकास का अध्ययन।
43. म.प्र. के कान्हा–पेंच कॉरीडोर में डी.एन.ए. की पहचान से बाघों के विचरण पर अध्ययन।
44. वानिकी अनुसंधान से विकसित तकनीकों के विस्तार हेतु वन मेला, किसान मेला तथा स्वरोजगार मेला में सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है।
45. रोपणी मार्गदर्शिका का प्रकाशन।

अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति

वर्ष के दौरान संस्थान में चल रहीं अनुसंधान परियोजनाओं में से 20 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया, 43 परियोजनाऐं एवं 16 नियमित गतिविधियां प्रचलित हैं तथा 07 नवीन परियोजनायें प्रारंभ की गईं।

अनुश्रवण और मूल्यांकन

संस्थान द्वारा निम्नानुसार अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्य लिये गये हैं –

- मध्यप्रदेश के विभिन्न वन मंडलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों एवं संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध वन संसाधनों का आंकलन।
- जबलपुर, सिवनी एवं छिंदवाड़ा वनवृत्तों के विगत 03 वर्षों के वृक्षारोपणों का मूल्यांकन।
- वन विकास अभिकरणों के माध्यम से वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में कराये गये कार्यों का मूल्यांकन।
- बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता एवं राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में कराये गये भू–जल संरक्षण एवं चारागाह विकास कार्यों का मूल्यांकन।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान द्वारा निम्नानुसार प्रशिक्षण सह कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- महुआ वृक्षों में रासायनिक तथा जैविक / गोबर खाद से फूलन तथा पुष्पन की वृद्धि।
- सलई गोंद के सतत् विदोहन प्रसंस्करण श्रेणीकरण तथा भण्डारण।
- लघु वनोपजों की बाजार तंत्र को सुदृण करने बाबत् कार्यशाला का आयोजन।

- संस्थान द्वारा पूर्ण किये गये परियोजनाओं के निष्कर्षों के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी वृत्तों में, क्षेत्रीय अमला तथा वन सुरक्षा समिति तथा अन्य समितियो के सदस्य हेतु प्रशिक्षण / कार्यशालाओं का आयोजन।
- राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के अनुसंधान परियोजनाओं के निष्कर्षों का प्रचार–प्रसार हेतु वन विभाग के 02 अनुसंधान विस्तार वृत्तों में कार्यशालाओं का आयोजन।
- उत्तर प्रदेश वन विभाग के विभिन्न वन प्रभाग के संयुक्त वन प्रबंधन तथा ईको विकास समितियों के सदस्यों हेतु राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा अध्ययन प्रवास सह प्रशिक्षण कार्यक्रम
- म.प्र. में साल बोरर से साल वनों की सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- मध्यप्रदेश वन विभाग के वनमण्डलों में बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अंतर्गत हितग्राहियों तथा फील्ड स्टाफ का भू–जल संरक्षण तकनीक एवं प्रबंधन कार्य एवं प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन।
- म.प्र. के उच्च न्यायालय के अधीन निचले अदालतों के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- प्राकृतिक वनों तथा वृक्षारोपणों में जैव विविधता के पुनः स्थापित करने की नीति तैयार करने बाबत् राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।
- पर्यावरण संरक्षण तथा उत्पादन वृद्धि हेतु वनवर्धन विषयों पर कार्यशाला का आयोजन।
- प्राकृतिक गोंद तथा राल की सतत् प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन।

प्रकाशन तथा अन्य गतिविधियाँ

उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त संस्थान के वैज्ञानिकों पर संस्थान परिसर में स्थापित वानस्पतिक उद्यान के विकास व सुदृढ़ीकरण तथा संस्थान स्थित जीन बैंक, मिस्ट चेम्बर, हरबेरियम और वन संग्रहालय के विकास और रखरखाव का दायित्व भी है। वैज्ञानिकों द्वारा संस्थान तथा क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशाला संचालित किये जाते हैं तथा वानिकी से संबंधित प्रचार–प्रसार भी किया जाता है। संस्थान द्वारा त्रैमासिक पत्रिकाओं 'वानिकी संदेश' तथा 'वन–धन' का प्रकाशन भी किया जाता है। समय–समय पर अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु तकनीकी बुलेटिन, ब्रोशर एवं पेम्पलेट्स का प्रकाशन किया जाता है।

संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाएँ

संस्थान द्वारा निम्नानुसार अनुसंधान सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं–

1. कृषकों, उद्यमियों, छात्रों एवं वन विभागीय अमलें को औषधीय पौधों की कृषि तकनीक, उनके प्राथमिक प्रसंस्करण (Primary processing) भंडारण, ऊतक संवर्धन (Tissue culture), बीज तकनीक, वृक्ष सुधार, मृदा परीक्षण, हरबेरियम एवं रोपणी विकसित करने संबंधी प्रशिक्षण।
2. विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के रोपण संबंधी एवं औषधीय पौधों की कृषि तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना।
3. बीज प्रमाणीकरण।
4. मृदा विश्लेषण।
5. उत्तम गुणवत्ता के बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रदाय।
6. औषधीय पौधों विशेषतः सर्पगंधा, गूगल, ब्राम्ही, गुडमार एवं कलिहारी का रासायनिक परीक्षण कर रासायनिक रेखाचित्र (Chemo-profiling) तैयार करना।
7. वन विभाग, अन्य शासकीय / अशासकीय संगठनों तथा व्यक्तियों को वानिकी विषयों पर व्यावसायिक

तकनीकी परामर्श देना।

8. वानिकी विषयों पर अनुसंधानरत् छात्रों को मार्ग दर्शन एवं अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराना।
9. इमारती काष्ठ वृक्ष प्रजातियों की फार्म फैक्टर तालिकायें, प्राप्ति तालिकायें (Yield Tables) और आयतन तालिकायें तैयार करना।
10. पर्यावरण संघात निर्धारण (Environment Impact Assessment) एवं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वनीकरण हेतु परामर्श।
11. लघु वनोपज विपणन सूचना तंत्र (Market Information System) का विकास एवं त्रैमासिक पत्रिका ''वन धन'' के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करना।
12. तकनीकी मैन्युअल एवं प्रचार प्रसार हेतु पठन सामग्री इत्यादि तैयार करना।
13. पुस्तकालय एवं प्रलेख्य शाखा में संग्रहित दुर्लभ वानिकी अनुसंधान अभिलेखों को वानिकीविदों एवं शोधार्थियों को उपलब्ध कराना।
14. संस्थान में स्थापित संग्रहालय के माध्यम से वन संरक्षण एवं वन संसाधनों के विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों का प्रदर्शन।
15. विभिन्न वन मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेकर जन साधारण को वन अनुसंधान के लाभ से अवगत कराना।
16. विभिन्न वानिकी अनुसंधान विषयों पर प्रशिक्षण, संगोष्ठियों एवं कार्य शालाओं का आयोजन।

वित्तीय स्त्रोत

राज्य वन अनुसंधान संस्थान को वन विभाग के आयोजनेत्तर बजट के अंतर्गत अनुदान तथा बाह्य संस्थाओं को भेजी गयी परियोजनाओं से वित्तीय आवंटन प्राप्त होता है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त वित्तीय आवंटन तथा ब्यय का विवरण निम्नानुसार है –

(राशि लाख रुपये में)

बजट मद	2011–12		2012–13		2013–14 (माह सितम्बर, 2013 तक)	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
10–2406 आयोजनेत्तर सहायक अनुदान	505.23	461.07	509.16	461.32	447.84	264.26
डिपाजिट वर्क्स	319.69	372.78	284.95	259.99	191.95	55.45

तेरहवें वित्त आयोग के लिए प्रस्ताव

तेरहवें वित्त आयोग से संस्थान परिसर में स्थित संग्रहालय एवं अभिलेखागार का उन्नयन करने के लिए कुल रु. 1.00 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए आबंटित की गयी है।

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड म.प्र.शासन के वन विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12.07.2005 को म.प्र.सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की वन नीति 2005 की कंडिका 3.16 ईकोपर्यटन नीति निर्देशों के अनुसार वन मनोरंजन ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है।

बोर्ड की प्रशासनिक संरचना में दो प्रमुख समितियाँ हैं:– साधारण सभा एवं कार्यकारी समिति। माननीय वन मंत्री, म.प्र.शासन, साधारण सभा के पदेन अध्यक्ष है तथा प्रमुख सचिव, वन विभाग कार्यकारी समिति के पदेन अध्यक्ष है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग दोनो समितियों के सदस्य है। बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक महाप्रबंधक पदस्थ हैं जो वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रदेश के 16 क्षेत्रीय वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक, 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों के मुख्य वन संरक्षक, 64 क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी और 9 राष्ट्रीय उद्यान के संचालक एवं उप संचालक बोर्ड के पदेन क्षेत्रीय अधिकारी हैं।

अवधारणा (Vision) : वन संरक्षण एवं ग्रामीण आजीविका विकास

लक्ष्य : सतत् वन प्रबंधन में ईकोपर्यटन को मुख्यधारा में जोड़कर वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण

रणनीति :

- गंतव्य स्थलों पर मूलभूत अधोसंरचनाओं एवं सुविधाओं का विकास करना।
- प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रचार–प्रसार करना।
- स्थानीय समुदायों हेतु आजीविका के अवसर विकसित करना।

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की मुख्य गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :–

- **ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार योग्य कौशल विकास प्रशिक्षण** – राज्य के ईकोपर्यटन केन्द्रों के 60 चयनित ग्रामीण युवकों को ''हुनर से रोजगार'' के अंतर्गत तीन माह स्वरोजगार योग्य कौशल विकास का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। चयनित 10 ईकोपर्यटन केन्द्रों के युवकों को मई–जुलाई, 2013 में म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल में तथा 10 केन्द्रों के युवकों को भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर में जुलाई–सितम्बर, 2013 में प्रशिक्षण दिया गया है। इन युवकों को ईकोपर्यटन केन्द्रों पर स्वरोजगार की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है।

कौशल विकास का विशेष प्रशिक्षण

- **स्कूली विद्यार्थियों के लिए ईको–कैम्प** – बोर्ड द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में 50–50 स्कूल विद्यार्थियों के लिये ''ईको–कैम्प'' कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अक्टूबर–2013 के वन्यप्राणी सप्ताह के दौरान प्रत्येक वनमण्डल में 50 चयनित स्कूली विद्यार्थियों के लिए एकदिवसीय प्रकृति दर्शन, अनुभूति (Eco-Camps) कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
- **जन निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) से ईकोपर्यटन केन्द्रों का विकास (PPP)** – बोर्ड द्वारा जन निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के अंतर्गत ईकोपर्यटन विकास हेतु गंतव्य स्थलों को चिन्हांकित कर परियोजना विकसित की जा रही है। तीन गंतव्य स्थलों की जन निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से विकास की स्थिति निम्नानुसार हैः–

1. **अर्निया ईकोपार्क (देवास)** – देवास–इंदौर राजमार्ग क्र. 86 पर स्थित अर्निया का पी.पी.पी. के माध्यम से ईकोपर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा कर संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। यह प्रोजेक्ट 30 वर्ष हेतु लीज़ पर वार्षिक प्रीमियम राशि रु. 4.45 लाख (प्रतिवर्ष 5ः वृद्धि के साथ) स्वीकृत है।
2. **बीहर ईको एडवेंचर पार्क (रीवा)** – रीवा शहर में बीहर नदी पर स्थित दो द्वीपों पर पी.पी.पी. के माध्यम से रु. 15 करोड़ की लागत से ईकोपार्क विकास हेतु निविदा कार्यवाही की गई है। रु. 6.30 लाख प्रतिवर्ष प्रीमियम पर प्रोजेक्ट प्रस्ताव स्वीकृति प्रक्रिया में है।
3. **ईकोपार्क रालामंडल रोप–वे (इंदौर)** – इंदौर वनमंडल में रालामंडल एवं देवगुराड़िया पहाड़ी के मध्य रोप–वे विकास हेतु प्रोजेक्ट एवं निविदा अभिलेख तैयार कराये जा रहे हैं। यह योजना वर्ष 2013–14 अंत तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
4. **ईकोपार्क भीलटदेव** – होशंगाबाद–हरदा राजमार्ग पर 16 एकड़ भूमि पर ईकोपार्क का विकास किया गया है। कैफेटेरिया एवं सामुदायिक भवन (Conference Hall) रु. 41,666/– प्रतिमाह के प्रीमियम पर एक वर्ष तक संचालन स्वीकृत है। केन्द्र का संचालन स्थानीय ईकोपर्यटन समिति द्वारा किया जा रहा है।
5. **केरवा जिपलाइन** – केरवा क्षेत्र में बोर्ड द्वारा साहसिक गतिविधियों के विकास के अंतर्गत स्काई जिपलाईन की स्थापना की गई है। इस साहसिक गतिविधि का संचालन प्रतिष्ठित फ्लाईंग फ्ोक्स कम्पनी द्वारा किया जा रहा है।

- बोर्ड द्वारा राज्य के 90 वन अधिकारियों को पी.पी.पी. प्रोजेक्ट तैयार करने की प्रक्रिया तथा वन एवं ईकापेर्यटन में सार्थकता के विषय में प्रशासन अकादमी, भोपाल के माध्यम से 2 दिवसीय 3 प्रशिक्षण माह अगस्त–2013 में संपन्न कराये गये। जिससे ईकोपर्यटन के लिए निजी निवेश प्रोत्साहित किया जा सकें।
- ईकोपर्यटन विकास के लक्ष्य तथा रणनीति से क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने हेतु प्रत्येक वृत्त स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
- महत्वपूर्ण ईकोपर्यटन केन्द्रों का विकास – राज्य में निम्नानुसार ईकोपर्यटन केन्द्रों का समग्र रूप से विकास एवं समुदाय आधारित संचालन प्रचलित है –

क्र.	ईकोपर्यटन गंतव्य स्थल	वनमण्डल / राष्ट्रीय उद्यान	क्र.	ईकोपर्यटन गंतव्य स्थल	वनमण्डल / राष्ट्रीय उद्यान
1	कोलार – कठौतिया जंगल कैम्प	सीहोर	10	पायली जंगल कैम्प	उत्तर सिवनी
2	केरवा – लहारपुर जंगल कैम्प	भोपाल	11	रूखड़ जंगल कैम्प	दक्षिण सिवनी
3	समर्धा जंगल कैम्प	भोपाल	12	कर्माझिरी जंगल कैम्प	पेंच रा.उद्यान, सिवनी
4	तामिया – पातालकोट जंगल कैम्प	छिंदवाड़ा	13	दौलतपुर जंगल कैम्प	देवास
5	कुकरू जंगल कैम्प	दक्षिण बैतूल	14	आँवलिया जंगल कैम्प	खण्डवा
6	रनेह फॉल–हिनौता जंगल कैम्प	छतरपुर (पन्ना रा.उ.)	15	तिघरा जंगल कैम्प	ग्वालियर
7	ओरछा जंगल कैम्प	टीकमगढ़	16	देलावाड़ी जंगल कैम्प	औबेदुल्लागंज
8	देवरी जंगल कैम्प, चम्बल अभयारण्य	मुरैना	17	नर्मदा जंगल कैम्प	होशंगाबाद
9	रालामण्डल ईकोपार्क	इंदौर	18	कूनो जंगल कैम्प	श्योपुर

उपरोक्त केन्द्रों में से 13वें वित्त आयोग एवं राज्य योजना आयोग की आर्थिक सहायता से दौलतपुर, कुकरू, केरवा, भीलटदेव, कठौतिया एवं कर्माझिरी में ईकोपर्यटन केन्द्रों का विशेष विकास प्रगति पर है। ईकोपर्यटन केन्द्रों के संचालन के लिए स्थानीय ग्रामीण युवकों को प्रकृर्ति व्याख्या, जल संरक्षण, पक्षी दर्शन, वन्य एवं वन्यप्राणी परिचय, आतिथ्य सत्कार एवं व्यवस्था तथा साहसिक गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वसहायता समूह (SHG) के रूप में पंजीबद्ध कर केन्द्र संचालन का उत्तरदायित्व दिया जाता है। राज्य में समर्धा, कठौतिया, केरवा, ओरछा, रूखड़, देवरी चम्बल एवं तिघरा केन्द्रों के संचालन में ग्रामीण स्वरोजगार समूह सक्रिय रूप में शामिल हैं।

- **सौर ऊर्जा विद्युतीकरणः**– प्रदेश में विकसित किए जा रहे ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों पर सौर ऊर्जा विद्युतीकरण कराये जाने का कार्यक्रम है। 13 ईकोपर्यटन केन्द्रों में राशि रु. 81.07 लाख की सहायता से 65 किलो वाट क्षमता का सौर ऊर्जा विद्युतीकरण कार्य किया गया है।

- **गाइड प्रशिक्षणः**– राज्य में मुख्य राष्ट्रीय उद्यानों के 400 गाइड्स को बेहतर संवाद, सौहार्दपूर्ण व्यवहार तथा उत्कृष्ट आतिथ्य का एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनके माध्यम से राज्य में '' अतिथि देवो भवः'' भावना का प्रदर्शन हो सके।

प्रचार–प्रसारः– बोर्ड द्वारा फ़िल्म निर्माण, पुस्तिकाएँ एवं ब्रोशर प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा रेडियो जिंगल्स एवं 'ईको कैम्प' कार्यक्रम के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का प्रचार–प्रसार किया जाता है। बोर्ड द्वारा फिल्म एवं डॉक्यूमेंटरी –डॉल्फिन इन चंबल रिवर, बर्ड्स ऑफ भोपाल (वन विहार, कलियासोत, केरवा), उड़ान–हॉर्नबिल (Hornbill's infants care) एवं 15 ईकोपर्यटन केन्द्रों की डाक्युमेंटरी फिल्मों का निर्माण भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा मेलों एवं सेमिनार में भी प्रतिभागिता कर बोर्ड की गतिविधियों से संबंधित पैनल एवं ब्रोशर से प्रचार – प्रसार किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन

वन क्षेत्र की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। भारत के वन क्षेत्रों का 20.3 प्रतिशत वन क्षेत्र मध्यप्रदेश में है। भारत का 12 प्रतिशत बांस क्षेत्र मध्यप्रदेश में व्याप्त है। मध्यप्रदेश में प्राकृतिक बांस वनों का क्षेत्रफल लगभग 5.55 लाख हेक्टैयर है जो 22 जिलों के 28 वन मंडलों में फैला हुआ है बांस वन क्षेत्रों में 42 प्रतिशत बांस बिगड़ी हालत में है। प्राकृतिक वनों से बांस उत्पादन लगभग 75000 नोशनल टन (एक नोशनल टन 2400 लंबाई के बराबर) है। बांस वनों की दशा सुधारने तथा बांस के संवहनीय उपयोग के लिये शासन तथा स्थानीय समुदाय के मध्य समन्वित प्रयासों हेतु मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन समिति का गठन किया गया है।

गठन :–

बांस की उपलब्धता में कमी एवं बांस एवं बांस उत्पादों के विपणन में आने वाली कठिनाई के निवारण हेतु शासन के ज्ञाप क्रमांक F-25-5/2013/10-3 दिनांक 03 जुलाई 2013 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन (सोसायटी) का गठन कर मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन 15.07.2013 को पंजीकृत किया गया है।

शासन के वन विभाग के आदेश क्रमांक F-25-5/2013/10-3 दिनांक 04 जुलाई 2013 द्वारा बांस शिल्पियों के मामले पर सलाह देने के लिये मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन के अन्तर्गत मध्यप्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

उददे्श्यः–

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन का मुख्य उददे्श्य संवहनीयता के सिद्धान्त का पालन करते हुए बांस आधारित विकास कार्य एवं कामगार विकसित करना है, जिससे बांस क्षेत्रों का विकास, बांस आधारित उद्योगों की स्थापना, मूल्य संवर्धन, एवं स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

संरचनाः–

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन (सोसायटी) की संरचना अन्तर्गत दो प्रमुख समितियॉ एवं एक बोर्ड है। साधारण सभा के सभापति माननीय वन मंत्री है। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव वन है। बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन हो चुका है, जिसमें राज्य शासन द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष एवं चार सदस्यों के नामांकन का प्रावधान किया गया है।

योजना :–

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन को दो प्रकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है प्रथम सामान्य निधि में वन विभाग द्वारा वेतन भत्तों एवं कार्यालयीन प्रभार अन्तर्गत राशि उपलब्ध कराई जाती है। द्वितीय परियोजना निधि अन्तर्गत भारत सरकार के राष्ट्रीय बांस मिशन से राशि प्राप्त होती है जिसके अन्तर्गत बांस रोपणियों की स्थापना बांस क्षेत्रों का विस्तार, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, सेमिनार एवं वर्कशाप का आयोजन किया जाता है।

मिशन द्वारा प्रचलित वर्ष में संचालित मुख्य गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण।

1. मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा आयोजित बांस उत्सव 2014 के अन्तर्गत भोपाल स्थित भोपाल हॉट में एक राष्ट्रीय बांस हॉट का आयोजन दिनांक 26 से 28 जनवरी, 2014 तक किया गया, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के बांस आधारित तकनीकी संस्थानों, देश एवं प्रदेश के विभिन्न शिल्पोकारों ने भाग लिया तथा उत्पादों का विक्रय एवं प्रदर्शन किया गया है।

2. बांस उत्सव 2014 के अन्तर्गत मिशन द्वारा दिनांक 24 से 25 जनवरी, 2014 को "Exploring the Best practices in Bamboo management: Investing in Green Gold" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में World Bamboo Organization, Auroville Bamboo Center, KONBAC, CIBART, VEDHA, SPA, IKEA, INBAR आदि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा भाग लिया गया तथा विभिन्न नीतिगत विषयों पर चर्चा की गई।

3. मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज के वित्तीय सहयोग से बांस मिशन द्वारा Centre for Green Building materials & Technology, Bangalore के साथ संयुक्त रूप से प्रदेश के विभिन्न चयनित 30 शिल्पकारों का प्रशिक्षण 20 दिसम्बर 2013 से 20 जनवरी 2014 के मध्य केरवा, भोपाल में आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षणर्थियों को बैम्बू आर्किटैक्चर पर विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया।

4. मिशन द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र में उपलब्ध बांस एवं उसकी प्रजाति, प्रकार का आंकलन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मिशन द्वारा ICFRE, Dehradun एवं TFRI जबलपुर के साथ समन्वय कर कार्यवाही की जा रही है। पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में यह कार्य जबलपुर वन वृत्त के तीन वनमंडलों (जबलपुर, पूर्व मंडला एवं पश्चिम मंडला) में प्रारंभ किया गया है।

5. मिशन द्वारा प्रदेश में आठ वन वृत्तों (भोपाल, इंदौर, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, खण्डवा, बैतूल एवं जबलपुर) में क्षेत्रीय वनाधिकारियों के साथ समन्वय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान बांस आधारित योजनाओं, बांस उत्सव, बांस पुरस्कार एवं विभिन्न नीतिगत विषयों पर चर्चा की गई है।

6. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन द्वारा राज्य के बांस मिशन की गतिविधियों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 13.01.2014 को विभिन्न संबंधित विभाग प्रमुखों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

7. म.प्र. राज्य मिशन द्वारा FOREST PLUS+ के राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दिनांक 03.02.2014 को मिशन कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में बांस प्रबंधन के संदर्भ में REDD+ और कार्बन क्रेडिट (Carbon Credit) मुद्दों की भूमिका पर चर्चा की गई। मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा की गई कि किसानों को अपने खेतों पर उग रहे तथा लगाये गये बांस भिर्रों से कार्बन क्रेडिट के रूप में किस प्रकार लाभ मिल सकता है।

बैम्बू फेस्ट 2014

उपलब्धियॉ :–

परियोजना निधी से प्राप्त राशि से निम्नानुसार उपलब्धियॉ प्राप्त हुई है।

क्र.	घटक	दर (रू. लाख में)	स्वीकृति	
			भौतिक	आर्थिक
1	शासकीय क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत रोपणी की स्थापना संख्या	2.73	7	19.11
2	निजी क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत रोपणी की स्थापना संख्या	0.68	2	1.36
3	रोपण सामग्री का प्रमाणीकरण (संख्या)	परियोजना आधारित	-	2
4	वन क्षेत्रों में रोपण (हेक्टेयर)	0.125	2914	364.25
5	गैर वन क्षेत्रों में रोपण (हेक्टेयर)	0.04	375	15
6	उपलब्ध स्टॉक का प्रवर्धन (संख्या)	0.08	873	69.84
7	राज्य के अन्दर किसान प्रशिक्षण (संख्या)	0.0152	70	1.06
8	राज्य के बाहर किसान प्रशिक्षण (संख्या)	0.025	35	0.88
9	क्षेत्रीय अमले का प्रशिक्षण (संख्या)	0.08	47	3.74
10	जिला स्तरीय कार्यशाला/ सेमीनार (संख्या)	1	4	4
11	राज्य स्तरीय कार्यशाला/ सेमीनार (संख्या)	3	2	6
	योग			**487.24**

वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त राशि एवं व्यय की जानकारी :–

क्र.	विवरण	वास्तविक बजट वर्ष 2013–14 (31.01.2014 तक)
I	**खुलती शिल्क**	**31-77**
II	**प्राप्तियाँ व आय**	**-**
अ	**सामान्य निधि**	**-**
1	बजट अनुदान (विकास शाखा)	50-00
2	अन्य प्राप्तियाँ – ब्याज	01-00
	योग सामान्य निधि	51.00
ब	**परियोजना निधि**	
1	राष्ट्रीय बांस मिशन से प्राप्त	455-47
	योग (सामान्य निधि + परियोजना निधि)	**538.24**

III	**व्यय**	
अ	**सामान्य निधि**	
2	वेतन एवं भत्ते	9.56
3	कार्यालयीन	2.08
6	अन्य व्यय	1.46
	योग सामान्य निधि	13.10
ब	**परियोजना निधि**	487.24
	महायोग (सामान्य निधि+परियोजना निधि)	500.34

बांस निर्मित उत्पाद

1.4 विभाग के दायित्व

विभाग का दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है, ताकि वनों की संवहनीयता बनाए रखते हुए उनका संरक्षण व संवर्धन किया जा सके, स्थानीय लोगों को उनकी आवश्यकता के वन उत्पाद यथासंभव प्राप्त हो सकें, तथा वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति की जा सके। इन दायित्वों के निर्वहन के लिए वन विभाग की निम्नानुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं –

1. वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण।
2. वन क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण।
3. वनों का विकास तथा बिगड़े वनों का सुधार करते हुए उत्पादकता बढ़ाना।
4. वनेत्तर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
5. वैज्ञानिक विधि से वनों का समयबद्ध विदोहन कर वनोपज को समय से बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
6. निस्तार प्रदाय की व्यवस्था करना।
7. भूमि स्वामी क्षेत्र पर उपलब्ध वनोपज के विदोहन एवं निवर्तन हेतु लाभकारी प्रणाली स्थापित करना।
8. वनोपज के निवर्तन से राजस्व अर्जन करना।
9. वन प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
10. ईकोपर्यटन को बढ़ावा देते हुए वनों के बारे में आम जनता में जागरूकता का विकास करना।
11. उपरोक्त समस्त दायित्वों को पूर्ण करने हेतु वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।